

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर - राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 84/2018

किस्म मुकदमा :

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.08.18

निर्णय दिनांक : 12/12/2018

सरकार जरिये पटवारी हल्का
कुकनवाली

बनाम

नारायण सिंह पुत्र बाल सिंह

लक्ष्मण सिंह पुत्र रतन सिंह

जाति राजपूत नि. कुकनवाली

-: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनुपरिथत प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुकनवाली द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नारायण सिंह पुत्र बाल सिंह, लक्ष्मण सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत नि. कुकनवाली ने ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 661 कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नदी में से रकबा 0.0594 हैक्टर भूमि पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से पक्की दीवार बना कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये किया गया। नोटिस की प्रति शंकर सिंह ने प्राप्त की।

अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना - पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम कुकनवाली के आराजी राज खसरा नम्बर 661 कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नदी में से रकबा 0.0594 हैक्टर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.17 रु का पच्चास गुणा से राशि रु0 9/- अक्षरे नौ रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे । आरोपित शास्त्रि की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे ।

पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो ।
निर्णय आज दिनांक 18/12/2010 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

माँग कायमी रा.ले.स.-4
कि.पृष्ठ संख्या 30
वर्ष 18-19
रा.जुर्माना 09
क.निलामी /
गोचर जुर्माना /
प्रा.पेदावार

तराले कुचामन सिटी

(महावीर प्रसार शर्मा)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर -राज0